मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की दिनांक 10 नवम्बर, 2024 को लोक भवन स्थित सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-संलग्नानुसार

(1) बैठक में उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा स्टेट ब्राडबैन्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की बैठक आहूत करने हेतु मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अवगत कराया गया कि विभिन्न प्राचीन टेलीकाम अधिनियम जैसेकि Indian Telegraph act 1885, Indian wireless telegraphy act 1933 एवं The telegraph wires (unlawful Possession) Act, 1950 को अधिक्रमित करते हुये वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप The Telecommunication act, 2023- Digital by design को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है। तत्क्रम में दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधूसिचना संख्या-534 (सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257202), दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को निर्गत किया जा चुका है, एवं समस्त राज्यों द्वारा उक्त अधूसिचना को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू किया जाना है।

उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचना के मुख्य विशेषताओं से अवगत कराते हुये उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को लागू एवं अनुपालन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना को अंगीकृत किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से पत्र प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(2) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राविधानित नियमों के अनुरूप उत्तर प्रदेश राइट आफ वे पोर्टल को Upgrade करते हुये नवीन पोर्टल विकसित कर लिया जाये, जिससे दिनांक 01 जनवरी, 2025 से नये पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किये जा सके।

उक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राइट आफ वे पोर्टल गति शक्ति संचार पोर्टल तथा निवेश मित्र पोर्टल से एकीकृत है तथा दोनों पोर्टल (गति शक्ति संचार पोर्टल तथा निवेश मित्र पोर्टल) के माध्यम से आवेदन राइट आफ वे पोर्टल पर प्राप्त होते है। वर्तमान में निवेश मित्र पोर्टल पर लागू नियमों के अनुसार "विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने यूजर आई.डी. पासवर्ड को प्रयोग करते हुए फार्म को पूर्ण रूप से चेक किया जाएगा। चेक करने के उपरान्त यदि किसी बिन्दु पर कमियां पाई जाती है तो उन कमियों से उद्यमी को पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर

अधिकतम 01 (एक बार) रिव्यू हेतु भेजा जाएगा।

विभाग का नोडल अधिकारी रिव्यू के साथ अपनी टिप्पणी भी भेज सकता है। यदि पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर विभाग द्वारा उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म नहीं भेजा जाता है, तो यह स्वतः माना जायेगा कि उद्यमी द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र में कोई कमी नहीं पाई गयी हैं।'' तथा ''उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म में मार्क बिन्दुओं पर सही एवं पूर्ण सूचना भरकर फार्म को 07 दिन के अन्दर पुनः Submit करना होगा। यदि उद्यमी 07 दिन के अन्दर फार्म में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को फार्म पर अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वविवेक छूट होगी।'' एवं इसके अतिरिक्त एक से अधिक बारगी आवेदक से Clarification लिये जाने की स्थिति को निवेश मित्र स्वीकृति प्रदान नहीं करता है।

अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुसार विभाग आवेदन के सापेक्ष 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है तथा आवेदक 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर दे सकता है एवं पुनः 45 दिनों में विभाग आवेदन को निरस्त करने के कारण से आवेदक को अवगत कराना होगा एवं आवेदन द्वारा पुनः निरस्तीकरण के कारणों के सापेक्ष 15 दिनों में अपना मत दर्ज कर सकते है। ऐसी दशा में विभाग यदि सहमत है तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं यदि असहमत है तो अंतिम निरस्तीकरण 07 दिनों के भीतर दर्ज कर सकेगें। ऐसी दशा में अधिसूचना के पूर्ण अनुपालन हेतु पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल से डी-लिंक किये जाने के उपरान्त ही सम्भव हो पायेगा। प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुसार नवीन पोर्टल विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसपर संचालित सेवायें पूर्व से विकसित पोर्टल के सापेक्ष काफी वृहद है एवं कार्य की महत्ता को देखते हुये 15 दिसम्बर, 2024 तक First Version को विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त के क्रम मे निर्देशित किया गया की राइट आफ वे पोर्टल को निवेश मित्र से डी-लिंक नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा आवेदन के निस्तारण की अवधि उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय अवधि से कम है ऐसी दशा में विकसित किये जाने वाले नवीन राइट आफ वे पोर्टल पर आवेदन को निस्तारित करने की प्रक्रिया निवेश मित्र की शर्तों के अनुरूप ही रहेगी। उक्त अधिसूचना के यथासम्भव प्राविधानों को समाहित किये जाने हेतु निवेश मित्र से पृथक रूप से चर्चा कर लें एवं 01 माह में पोर्टल विकसित करा लें।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(3) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राइट आफ वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित

को अधिकृत किया गया है:-

(i) आवास विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में अनुमतियां, इन क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्तर से जारी न होकर आवास विकास के अधीन संबंधित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के स्तर से प्रदान की जायेगी।

(ii) आवास विभाग के अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र से आच्छादित स्थानीय निकायों को छोड़कर शेष नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधीनस्थ क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(iii) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में उनके द्वारा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र में उपजिलाधिकारियों द्वारा।

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य सरकारी भूमि/भवन पर टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रचर स्थापित किया जाना है तो इस हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र उक्त अधिकृत निकायों द्वारा सम्बन्धित विभाग से Internal Consent प्राप्त किये जाने के उपरान्त निर्गत किये जायेगें।

उक्त विषयक उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1) द्वारा अनुरोध किया गया कि लोक निर्माण विभाग, नगर निगम एवं Housing Board (आवास विकास विभाग अधीनस्थ) को 5वी, छठी तथा सातवीं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गतकर्ता के रूप में नामित कर दिया जाये।

उक्त अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुये लोक निर्माण विभाग, नगर निगम एवं Housing Board (आवास विकास विभाग अधीनस्थ) को 5वी, छठी तथा सातवीं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गतकर्ता के रूप में नामित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार निवेश मित्र पोर्टल तथा गति शक्ति संचार पोर्टल से प्राप्त होने वाले आवेदनों के साथ प्राप्त Processing शुल्क को Refund नहीं किया जाता था, परन्तु अधूसिचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुसार आवेदन निरस्त होने की स्थिति में प्राप्त Processing शुल्क का 90 प्रतिशत आवेदक को Refund करना होगा।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवेदन के साथ प्राप्त होने वाली Processing शुल्क प्रथम बार जहाँ एकत्रित होती है अर्थात निगम (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ) अपने स्तर पर ही निगम खाते में जमा रखे तथा निरस्तीकरण के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान आवेदक को Refund करें। शेष 10 प्रतिशत

एवं आवेदन स्वीकृत/सूचित आवेदनों के सापेक्ष प्राप्त धनराशि का उपयोग निगम राइट आफ वे विषयक कार्यों में उपयोग कर सकता है।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(5) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुरोध किया गया कि अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुसार निजी भूमि/भवन पर मोबाइल टावर/पोल की स्थापना किये जाने पर आवेदक को सम्बन्धित निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के स्थान राइट आफ वे पोर्टल पर आवश्यक Processing शुल्क जमा करते हुये सूचित करेगा।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवेदक द्वारा राइट आफ वे पोर्टल पर आवश्यक Processing शुल्क (मोबाइल टावर हेतु रू0-10,000/- एवं Telegraph Infrastructure हेतु रू0- 1,000/- प्रति किलोमीटर) जमा करते हुये, स्थापित किये जाने वाले स्थल के भूमि/भवन स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी फिटनेस के सम्बन्ध में प्राधिकरण के अभियन्ता अथवा अन्य रजिस्टर्ड अभियन्ता से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा। जिन मोबाइल टावर/पोल की सूचना राइट आफ वे पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी वह अनाधिकृत घोषित रहेगी। यह व्यवस्था अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के प्रवृत्त किये जाने की दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू हो।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(6) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुरोध किया गया कि USOF Special Assistance Scheme के अन्तर्गत बीएसएनएल को निर्गत धनराशि रू0-300.00 करोड़ के अन्तर्गत 16,718 ग्राम पंचायतों में 05 FTTH Connection तथा 01 PMWANI Wi-Fi Connection के सफल संचालन को Monitor करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी/सचिव को नामित किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उपलब्ध कराये जा रहे कनेक्शन के संचालन को Monitor करने हेतु आनलाइन व्यवस्था ही पर्याप्त है। अतः आनलाइन Monitoring की व्यवस्था बीएसएनएल सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-भारत संचार निगम लिमिटेड)

(7) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि Call Before u Dig के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि CBuD App का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा, परन्तु राज्य में किये जा रहे उत्खन्न की सूचना को CBuD App पर प्रेषित नहीं किया जा रहा है। जिससे राज्य की भूमिगत

सम्पत्ति की क्षति हो रही है, अतः इसको सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्णतः उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित द्वारा CBuD App का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव कार्यालय में किया जाये।

(कार्यवाही-दूरसंचार विभाग)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Signed by
Anil Kumar Sagar
Date: 18-11-2024 10:34:43

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-1850/78-1-2024-1099/1227/20020

लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2024

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

3-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास, लोक निर्माण, वन एवं पर्यावरण, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, ऊर्जा, राजस्व, औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन, माध्यमिक शिक्षा, नाममि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन ।

5-निजी सचिव, विशेष सचिव, (सुश्री नेहा जैन/श्री राहुल सिंह) आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

6-प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अन्य सर्वसंबंधितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

7-उप महानिदेशक,(ग्रामीण-1)(पूर्वी/पश्चिमी)संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8-मुख्य महाप्रबन्धक, बी.एस.एन.एल. यूपी (पूर्वी), टेलीकाम सर्किल, हजरतगंज, लखनऊ।

9-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

Signed by
Neha Jain
Date: 18-11-2024 10:56:16

(नेहा जैन)
विशेष सचिव।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 स्टेट ब्राडबैण्ड कमेटी की बैठक दिनांक 10-11 2024 को मध्यान्ह 1:30 बजे से लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक र्व उपस्थिति:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.	G. Sreenivasulu	Secretary	PWD	9889911111	[signature]
4.	Avadhesh Tiwari	Spl. Secretary	Basic Education	9457032502	[signature]
5.	Sukhlal Bharti	Secretary	Rural Development	9415192002	[signature]
6.	Arun Prakash	Spl. Secy	Urban Development	arunprakash2012@gmail.com 9412358743	[signature]
7.	Ujjwal Kumar	Spl. Secretary	MSME	8127414345	[signature]
8.	Ravi Ranjan	MD UPLC	IT & Electronics		[signature]
9.	Rajesh Kr Prajapati	Spl. Secty	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	9568517204	[signature]
10.	Jai Prakash Pandey	Joint Secretary	Panchayati Raj	9454413886	[signature]
11.	Ritesh Sharma	Sr. Consultant	"	8800890461	[signature]

12.	राम रतन	विशेष सचिव	राजस्व	9454411496	
13.	Rajesh Tripathi	Sr. डिरेक्टर	BOR	9450396363	
14.	गणेश कुमार	निदेशक SCERT	बेसिक शिक्षा	9415289139	
15.	Gnyan Shukla	Special Secretary Energy	Energy	8384807532	
16.	G.D. Dwivedi	DIR (D)	Power Corpn	9453234097	
17.	MAYANK GANGWAR	Joint Director	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	7408414314	
18.	Pravesh Verma	Asstt. Dir.	UPSDM	9651654587	
19.	Rakesh Kumar Singh	ADR-II	DOT	9404211386	
20.	Ravi Kumar	ADR-I	DOT.	9417667000	
21.	Ambrish Mishra	Executive Engineer	UPPCL	8004914491	
22.	Rohit Tripathi	APD/SSA	Basic Education	8528116616	
23.	Rashmi Singh	Assitent Director, Urban Local Bodies	Directorate Urban Local Bodies	8318837611	
24.	Mohan Thakur	IT chief	Urban Development Deptt.	9415028571	
25.	Pramod Kumar Gupta ~~APCCF, IT~~	APCCF, IT	Forest Deptt	7839435021	
26.	Jayashree Srinivasan	DGM (PM&IT) BSNL O/o CGMT UPE	BSNL	9422037400	
27.	Prakash Singh	ADE (H) BSNL O/O CGMT UPE	BSNL	8004972144	

28.	A.K. Verma	DGM (Mobile)	BSNL	9412000899 abhinav.verma@bsnl.co.in	Abhinav
29.	Arun Kr. Verma	Add. DGT	DOT	9412000607 srddg-upe-dgt-dot@gov.in	[signature]
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					

	नाम	पद नाम	विभाग	मो० नं०/email id	हस्ताक्षर
44.	Raghvendra Dwivedi	DIG	Police Telecom	9415158711 raghvendra4058@gmail.com	[signature]
45.	Amar Chandra	Ad. S.O.	Forest Dept. LKO.	9451631556 ccfnodalup@gmail.com	[signature]
46.	Dr. Chandra Bhushan	Special secretary	E.F.&C.C.	9450057333	[signature]
47.	Gangotri Kumar Dubey	OSD	forest corporation	9997676963	[signature] 10/11/17
48.	Anil Kumar Mishra	CTCP	TCPD	9452153302	[signature]
49.	Mahendra Prasad Bharti	Special secretary	Awas.	9454412693	[signature]
50.	Rayees Akhtar	SP Tech. Services	Police	9454400349	[signature]
51.	Vipul Tripathi	DGM. Legal	Indus Towers Ltd.	963199020	Vipul
52.	Ashutosh Mishra	SP H/W PHQ	Police	9454400400	[signature]
53.	Azeez Ahmad	Special secretary	Technical Education	9454412761	[signature]
54.	Isam Singh	SE (HQ)	R.ED,	9453043336	[signature]
55.	J.S. Parmar	Director Rural Engg ~~Department~~	R.E.D	8005493805	[signature]
56.	आनन्द प्रकाश सिंह	संयुक्त सचिव	ग्रामीण अभियन्त्रण	9454413257	[signature]
57.	अतुल शर्मा	प्र. महा प्रबन्धक बीएसएनएल	बीएसएनएल उ.प्र. (पू.)	9455005550	[signature]
58.	अशोक कुमार रावत	उप महा निदेशक	यू०पी० (पूर्वी) दूरसंचार विभाग	8765553555	[signature]
59.	A.K. ~~[illegible]~~ Mishra	DDG	DOT.	9415012900	[signature]

60.	Virendra Kumar	DDG R2	DoT	9412200056	[signature]